भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं.**1173**
दिनांक **10** फरवरी**, 2020**

ववादों पर वशेषज्ञ स मति

1173. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या देश में ववादों के चलते तेल और गैस क्षेत्र में लागत वसूली से लेकर उत्पादन लक्ष्य बुरी तरह से प्रभा वत हुए हैं और इससे माध्यस्थम के मामले बन रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्वेषण और उत्पादन से संबं धत ववादों को समयबद्ध संकल्प के लए एक वशेषज्ञ स मति गठित करने का निर्णय लया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनल की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और
(घ) सरकार के इस कदम से मध्यस्थता कस हद तक कम होने और तेल और गैस क्षेत्र की लागत को बचाने की संभावना है**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग): अन्वेषण संबंधी क्रयाकलापों को बढ़ाने, घरेलू और वदेशी निवेश को आकृष्ट करने तथा सहजता से कारोबार करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 28.02.2019 की अ धसूचना द्वारा बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों/वशेषज्ञों की एक स मति गठन करने का निर्णय लया है। इस निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने ववाद निपटान के लए दिनांक 16.12.2019 की अ धसूचना द्वारा बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों/वशेषज्ञों की एक स मति का गठन कया है।

स मति की प्रमुख शर्तें निम्नवत हैं:-

i सदस्यों का कार्यकाल: स मति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

ii सदस्यों की शक्तियां और कार्य: स मति मध्यस्थता और सुलह अ धनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों के बीच ववादों के निपटान हेतु सुलह और मध्यस्थ कार्यवाहियां करने के लए सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी प्रकार के कार्यो का निर्वहन करेगी और यह प्रयास करेगी क स मति की पहली बैठक की तारीख से तीन माह के अंदर समझौता करार हो जाए।

iii सुलहकर्ता और मध्यस्थ के तौर पर कार्य करने वाली स मति जब कभी अपे क्षत हो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद और सहायता के लए तीसरे पक्षकार/वशेषज्ञ एजेंसी की सेवाएं ले सकती है।

iv भारत के अन्वेषण ब्लॉकों/क्षेत्रों से संबंधत संवदाओं से उत्पन्न होने वाले कसी प्रकार के ववाद अथवा मतभेद को समति को भेजा जा सकता है यदि संवदा करने वाले दोनों पक्षकार लखत में सुलह और मध्यस्थता के लए सहमत हों और इस पर भी सहमत हो क इसके पश्चात मध्यस्थता कार्यवाहियों को चुनौती नहीं दी जाएगी।

v ववाद निपटान से संबंधत कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, समति सुलह/ मध्यस्थता की कार्यवाही करेगी। इस प्रकार की कार्यवाहियां निष्पक्षता, न्याय और पूर्ण ववेक के सद्धांतों पर आधारित होंगी। प्रक्रयात्मक पहलू के लए, समति मध्यस्थता और सुलह अधनियम, 1996 के भाग **III** में यथा उल्लिखत सद्धांतों और वनियमों की सहारा ले सकती है।

vi पक्षकार अपना मामला सुलहकर्ता अथवा मध्यस्थकर्ता के तौर पर कार्य करने वाली समति के कर्मचारियों अथवा कार्यपालकों के माध्यम से समति के समक्ष रखेंगे। अधवक्ता और परामर्शदाता सुलह कार्यवाहियों में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक क समति यह नहीं पाती क कार्यवाहियों के संबंध में दायर कए गए आवेदन में कुछ कानूनी प्रकृति से जुड़ा कोई मुद्दा है अथवा ववादाधीन कोई ऐसा मुद्दा जिसके लए उच्च वशेषज्ञता की जानकारी अपेक्षत हो और अधवक्ता अथवा परामर्शदाता द्वारा उसका स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षत हो और वे इस बात का ध्यान रखेंगे क ऐसी मदद अथवा भागीदारी के अभाव में सुलह अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही में पक्षकार के हितों की बात पर्याप्तत: नहीं रखी जाएगी।

vii पक्षकार सुलह अथवा मध्यस्थता की सूचना की तारीख से कसी दावों और प्रति-दावों पर समझौता करार होने तक, यदि कोई हो, कोई ब्याज का दावा नहीं करेंगें।

viii समति के समक्ष सुलह अथवा मध्यस्थता कार्यवाहियों पर समति, तृतीय पक्षकार/वशेषज्ञ एजेंसी के सदस्यों के शुल्क सहित खर्च की गई समस्त लागत और व्ययों को पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन कया जाएगा। तथा प, अधवक्ता अथवा परामर्शदाता की नियुक्ति के लए अनुरोध करने वाला पक्षकार ऐसे अधवक्ता अथवा परामर्शदाता द्वारा लया जाने वाला शुल्क वहन करेगा।

ix मध्यस्थता अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के लंबित रहने से समति के सामने सुलह अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, भले ही सुलह अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के समान वषय-वस्तु/मुद्दे पर हो।

घ. यदि संवदा के दोनों पक्षकार सुलह अथवा मध्यस्थता के लए लखत रूप में सहमत होते हैं और आगे मध्यस्थता की कार्रवाई नहीं करने पर सहमत होते हैं तो पैनल/समति की स्थापना से मध्यस्थता में कमी आएगी और समति द्वारा सुलह अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही से तेल और गैस क्षेत्र को इसकी लागत बचेगी।

****